माननीय न्यायमूर्ति रणजीत सिंह के समक्ष

दीवान चंद, याचिकाकर्ता

बनाम

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय व अन्य, —
उत्तरदातागण

2004 की C.W.P. संख्या 4203

27 अक्टूबर, 2009

भारत का संविधान, ***1950***--अनुच्छेद ***226***-पंजाब सिविल सेवा नियम, खंड ***I*** नियम.***3.26***-पंजाब सिविल सेवा *(*समयपूर्व सेवानिवृत्ति*)* नियम, ***1975***-नियम.***3***-एक न्यायिक अधिकारी द्वारा ***3*** महीने का नोटिस देकर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए अनुरोध-याचिकाकर्ता के खिलाफ एक शिकायत यहां लंबित है। अनुरोध प्रस्तुत करने का समय - पूर्ण न्यायालय ***55*** वर्ष से अधिक सेवा बनाए रखने के मामले के साथ-साथ स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के अनुरोध पर विचार कर रहा है - याचिकाकर्ता का अनुरोध अस्वीकार कर दिया गया है - न्यायिक सेवा से अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त होने का आदेश सार्वजनिक हित में पारित किया गया है - याचिकाकर्ता की ईमानदारी पर संदेह करते हुए प्रतिकूल टिप्पणियाँ - प्रतिनिधित्व पर, उच्च न्यायालय ने प्रतिकूल रिपोर्ट 'सी' *(*औसत से नीचे*)* को 'बी' *(*अच्छा*)* में अपग्रेड किया - याचिकाकर्ता के विस्तृत प्रतिनिधित्व को पूर्ण न्यायालय में संदर्भित किए बिना खारिज कर दिया गया - बिना किसी सामग्री के इस प्रकार दर्ज की गई संदिग्ध सत्यनिष्ठा की टिप्पणियाँ, अनुमान के आधार पर - स्पर्श पर संभाव्यता की प्रबलता उचित व्यक्ति के लिए यह संदेह स्वीकार करना कि संभावना संतुष्ट नहीं है-याचिका की अनुमति दी गई, अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश को रद्द कर दिया गया और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए याचिकाकर्ता की प्रार्थना को अनुमति दी गई।

अभिनिर्धारित किया गया कि, हमे ऐसी कोई सामग्री नहीं मिल पाई है जो याचिकाकर्ता की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट में समर्थित टिप्पणियों का समर्थन करती हो। कोई स्रोत, मामलों का विवरण या उन व्यक्तियों के नाम सामने नहीं आ रहे हैं जिनसे याचिकाकर्ता ने मामलों का फैसला करते समय कथित तौर पर पैसे लिए थे। न्यायिक अधिकारियों को बहुत ही पवित्र कर्तव्यों का निर्वहन करते है। उन्हें बेईमान कहकर निंदित करने के लिए, एक सामग्री होनी चाहिए, कुछ ऐसी सामग्री जो ऐसी टिप्पणियों का समर्थन करने का आधार प्रदान करे। निस्संदेह, न्यायिक अधिकारियों को संदेह से परे देखा जाना चाहिए। यहां तक कि एक छोटा या छिपा हुआ संदेह भी पर्याप्त हो सकता है लेकिन यह कुछ सामग्री के आधार पर होना चाहिए। यह एक अनुमान पर नहीं हो सकता । न्यायिक अधिकारी को ईमानदार होना होगा, ईमानदार दिखना होगा और इसे एक जरूरत और आवश्यकता के रूप में उसके अंतर्निहित रखना होगा। यदि किसी अधिकारी की ईमानदारी पर संदेह की खबरें आती हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए जरूरत और एक आवश्यकता के रूप में है, अगर वहाँ है एक अधिकारी की अखंडता के संदेह के बारे में रिपोर्ट कर रहे हैं, तो वह सिर्फ रिपोर्ट में नही झलकना चाहिए अपितु ऐसे अधिकारी का न्यायिक परिवार में

कोई स्थान नहीं होना चाहिए और उसे शीघ्रता से समाप्त कर देना चाहिए। एक न्यायिक अधिकारी के लिए ईमानदारी कोई गुण नहीं है। यह कोई प्रमाणित योग्यता नहीं है जिसका वह दावा कर सके या उसका उल्लंघन कर सके, बल्कि यह उसके और सेवा के लिए एक आवश्यकता, आवश्यकता और अपेक्षा है। यह वह सर्वोच्च मंच है जहां न्यायिक अधिकारी खड़े होते हैं, ईमानदारी के बारे में उनका मूल्यांकन हल्के ढंग से नहीं किया जा सकता है या नहीं किया जाना चाहिए। इसमें अतिरिक्त सावधानी और सावधानी बरतनी होगी जैसा कि किसी अन्य कर्मचारी के मामले में ईमानदारी के बारे में टिप्पणी करते समय आवश्यकता होती है, कोई व्यक्ति समर्थन में सामग्री की तलाश कर सकता है ताकि उनके साथ उचित व्यवहार किया जा सके। जब एक न्यायिक अधिकारी से इतने उच्च मानक की सत्यनिष्ठा और ईमानदारी की अपेक्षा की जाती है तो ऐसे गुणों वाले न्यायिक अधिकारी का मूल्यांकन करते समय भी उतनी ही उच्च स्तर की सावधानी और सावधानी बरतनी होगी।

(पैरा 22)

आगे अभिनिर्धारित किया गया कि सामग्री की कमी लगभग अगली स्थिति के बराबर है कि उपलब्ध सामग्रियों से कोई भी युक्तिमान व्यक्ति इस तरह के निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाएगा। सामग्रियों का मूल्यांकन करते समय, प्राधिकारी को उस प्रतिष्ठा को पूरी तरह से नजरअंदाज नहीं करना चाहिए जिसमें अधिकारी हाल तक कार्यरत था। यह कहावत कि कोई भी अचानक बेईमान नहीं हो जाता, असाधारण नहीं है, लेकिन फिर भी यह मानव आचरण का मूल्यांकन करने के लिए हितकारी दिशानिर्देश है, विशेषकर प्रशासनिक कानून के क्षेत्र में। हालाँकि, अधिकारियों को उस समग्र अनुमान के प्रति आँखें पूरी तरह से बंद नहीं रखनी चाहिए जिसमें अपराधी अधिकारी को पकड़ा गया था, लेकिन एक अधिकारी को संदिग्ध अखंडता के पूल में डुबाने के लिए, यह पर्याप्त नहीं है कि संदेह केवल एक अनुमान पर आधारित हो।

(पैरा 22)

आगे अभिनिर्धारित किया गया की, अधिकारी की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट में दर्ज संदिग्ध सत्यनिष्ठा की टिप्पणियों को बरकरार रखना बहुत मुश्किल है। ये टिप्पणियाँ बिना किसी सामग्री के दर्ज की गई हैं और इस प्रकार, अनुमान पर आधारित हैं। यदि कोई रिपोर्ट थी, तो उसे अदालत में पेश किया जाना चाहिए था या कम से कम दिखाया जाना चाहिए था, उस वकील का नाम जिसके माध्यम से यह पैसा गया था, आसानी से खुलासा किंया जा सकता था। उस सभावना के संबंध में संदेह करने के लिए उचित व्यक्ति के लिए कसौटी पर संभाव्यता की प्रधानता संतुष्ट नहीं है।(पैरा 23)

आर.एस. बैंस, एडवोकेट, याचिकाकर्ता के लिए.

हरीश राठी वरिष्ठ डीएजी, हरियाणा, प्रतिवादी संख्या *1* और *2* के लिए.

शैलेंद्र जैन, एडवोकेट, प्रतिवादी *3* के लिए

कमल सहगल, अधिवक्ता, प्रतिवादी *4* के लिए

रणजीत सिंह**,** न्यायमूर्ति

(1) अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी ने बहुत ही सीमित राहत के लिए प्रार्थना करने के लिए यह रिट याचिका दायर की है। उनका अनुरोध है कि उनके द्वारा किए गए 29 अगस्त, 2003 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के अनुरोध को 2 सितंबर, 2003 से

अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त करने के बजाय स्वीकार किया जाए और अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश को वापस लिया जाए। याचिकाकर्ता के वकील के अनुसार, यह आदेश राज्य के लिए फायदेमंद होगा क्योंकि याचिकाकर्ता को रुपये की राशि जमा करने की आवश्यकता होगी। 64,500 जो याचिकाकर्ता द्वारा जारी तीन महीने की नोटिस अवधि में कमी के कारण देय राशि होगी और राज्य भी रुपये की राशि वापस पाने में सक्षम होगा। याचिकाकर्ता को उसकी अनिवार्य सेवानिवृत्ति का निर्देश देते हुए नोटिस के बदले 71,975 रुपये का भुगतान किया गया।

(2) याचिका दायर करने और की गई प्रार्थना से संबंधित तथ्य, संक्षेप में ध्यान देने योग्य हैं कि याचिकाकर्ता प्रासंगिक समय पर हरियाणा राज्य में अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश के रूप में काम कर रहा था। वह शुरुआत में 14 मई, 1981 को अधीनस्थ न्यायिक अधिकारी के रूप में सेवा में शामिल हुए थे और न्यायिक सेवा के 22 साल पूरे कर लिए थे, जब उन्होंने 25 जुलाई, 2003 को अपने पत्र के माध्यम से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए अनुरोध किया था। याचिकाकर्ता ने प्रभावी रूप से उनकी सेवानिवृत्ति के लिए प्रार्थना की थी 10 नवंबर, 2003 से, इस प्रकार तीन महीने के लिए नोटिस दिया जा रहा है। बाद में, याचिकाकर्ता ने रुपये की राशि भेज दी। 64,500 और प्रार्थना की कि उन्हें 29 अगस्त, 2003 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्त कर दिया जाए। याचिकाकर्ता ने इस नोटिस अवधि की कमी के कारण, यदि देय हो, तो कोई अतिरिक्त राशि का भुगतान करने का भी वादा किया था।

(3) याचिकाकर्ता ने यह दलील दी कि जब उसने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए अपना अनुरोध प्रस्तुत किया था, तब कोई भी अनुशासनात्मक मामला न तो लंबित था और न ही विचाराधीन था। यह दलील भी दी गई की एक बार जब उन्होंने यह अनुरोध प्रस्तुत कर दिया है, तो कानून के तहत इसे स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं हो सकती है और उन्हें 29 अगस्त, 2003 से सेवानिवृत्त माना जाएगा, यानी वह तारीख जब उन्होंने अपना वेतन क़ानून द्वारा अपेक्षित तीन महीने के नोटिस की अवधि कम होने के बदले में भेजा था। इसके बजाय, 5 सितंबर, 2003 को एक आदेश, जो 2 सितंबर 2003 को पारित किया गया था, याचिकाकर्ता को रुपये के बैंक ड्राफ्ट के साथ दिया गया। इस आदेश के तहत, याचिकाकर्ता को उसकी न्यायिक सेवा से अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कर दिया गया। इस पृष्ठभूमि में, याचिकाकर्ता ने उसे प्रभावी करने के बजाय 29 अगस्त, 2003 से सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की अनुमति देने की प्रार्थना की है, बजाय के 2 सितंबर 2003 के न्यायिक सेवा से अनिवार्य रूप से सेवानिवृत करने वाले आदेश को प्रभावी करने के।

याचिकाकर्ता के अनुसार, यह राज्य के लिए फायदेमंद होगा क्योंकि उसे न केवल 71,975 रुपये की राशि वापस करनी होगी जो सरकार ने उन्हें भुगतान किया था, लेकिन उन्हें 64,500 रुपये की राशि भी जमा करनी होगी जो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए अपना अनुरोध अग्रेषित करते समय उन्होंने भेजे थे।

(4) पंजाब सिविल सेवा नियम, खंड 1 (जैसा कि हरियाणा पर लागू है) का नियम 3.26, जब नोट 8 के साथ पढ़ा जाता है, तो सेवानिवृत्ति आदेश के साथ तीन महीने का वेतन और सभी भत्ते एक साथ भुगतान करने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार,

याचिकाकर्ता का तर्क है कि इन महीनों का वेतन 1,02,627 रु. होगा। जबकि उन्हें केवल 71,975 रुपये का भुगतान किया गया। इसलिए, याचिकाकर्ता अपनी अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश को चुनौती का पहला आधार बनाने के लिए नियमों में निहित वैधानिक प्रावधानों के उल्लंघन का अनुरोध किया। याचिकाकर्ता आगे शिकायत करता है कि तीन महीने की नोटिस अवधि की शर्त को छोड़कर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए उसका अनुरोध, सक्षम प्राधिकारी यानी हरियाणा के राज्यपाल को कभी नहीं भेजा गया था और उसे एक गैर-स्पष्ट आदेश द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था जो प्रतिवादी नंबर 1 (उच्च न्यायालय) द्वारा पारित किया गया था। हालाँकि उनका अनुरोध अस्वीकार कर दिया गया लेकिन 64,500 रुपये की राशि जो अनुरोध पत्र के साथ उनके द्वारा भेजी गई थी वापस नहीं किये गये।

(5) रिकॉर्ड से पता चलता है कि याचिकाकर्ता की अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश कथित तौर पर जनहित में पारित किया गया है। याचिकाकर्ता इसे जनहित के विपरीत और नियमों का उल्लंघन भी करार देता है। वह कुछ ऐसे उदाहरणों का उल्लेख करता है जहां न्यायिक अधिकारियों द्वारा किया गया ऐसा अनुरोध स्वीकार कर लिया गया था और इस संबंध में श्री बी.एल. गुलाटी, एस.डी. त्यागी, पी.एल. गोयल और के.के. चोपड़ा, सुपीरियर न्यायिक सेवा के सभी सदस्य, जिन्होंने हरियाणा में जिला/अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में काम करते हुए आरोप पत्र दायर किया था के उदाहरणों का सहारा लिया जिन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की मांग की थी और इस संबंध में उनका अनुरोध स्वीकार कर लिया गया था। इतना ही नहीं जिन मामलों में जांच चल रही थी/विचाराधीन थी, उन्हें हटा दिया गया। याचिकाकर्ता के अनुसार, इन अधिकारियों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर आगे बढ़ने की अनुमति दी गई थी। याचिकाकर्ता अपने मामले को उनसे बेहतर स्तर पर कहता है क्योंकि जब उसने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए अनुरोध किया था तो उसके खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित नहीं थी।

(6) याचिकाकर्ता तब राज्य में सेवारत न्यायिक अधिकारी के मूल्यांकन की प्रक्रिया का संदर्भ देता है। वह यह कहने के लिए अपने सेवा रिकॉर्ड का भी हवाला देता है कि उन्हें दक्षता बार को पार किया और उन्हें चयन ग्रेड जारी किया गया था और उन्हें विभिन्न पदोन्नतियां दी गई थीं और अंततः उन्हें नियत तारीखों पर अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया था। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में कार्य करते हुए भी, याचिकाकर्ता का दावा है कि उसने 'अच्छी' और 'बहुत अच्छी' वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट अर्जित की है। फिर उन्होंने बताया कि उनकी पूरी सेवा के दौरान उन्हें दो रिपोर्टें दी गईं, जिन्हें प्रतिकूल कहा जा सकता है। पहला उनके सेवा करियर के शुरुआती चरण में था और वर्ष 1981-82 से संबंधित है, जब समग्र मूल्यांकन 'सी' के रूप में दिखाया गया था। संदिग्ध सत्यनिष्ठा के संबंध में टिप्पणियों से संबंधित दूसरी रिपोर्ट वर्ष 2000-01 में जारी की गई थी, जिसके कारण अंततः याचिकाकर्ता के खिलाफ विवादित आदेश पारित किया गया

(7) याचिकाकर्ता ने उस पृष्ठभूमि का उल्लेख किया है जिसके लिए वर्ष 2000-2001 की रिपोर्ट में उसका मूल्यांकन किया गया था। वह खुलासा करेंगे कि वर्ष 1988-89 में, वह मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हिसार के रूप में तैनात थे, जब प्रतिवादी नंबर 3 उक्त सत्र प्रभाग का जिला और सत्र न्यायाधीश था। याचिकाकर्ता के कार्य और आचरण को वर्ष 1988-89 में प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा 'बहुत अच्छा' के रूप में वर्गीकृत किया गया था। फरवरी 1999 में, प्रतिवादी संख्या 3 को इस न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया था। प्रतिवादी नंबर 3 बाद में वर्ष 2000-2001 में हिसार सत्र प्रभाग का निरीक्षण/प्रशासनिक न्यायाधीश बन गया, जबकि याचिकाकर्ता को अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश के रूप में वापस नियुक्त किया गया। याचिकाकर्ता का कहना है कि प्रतिवादी नंबर 3 एक घटना के कारण उससे नाराज था, जिसका जिक्र उसने रिट याचिका में विस्तार से किया है. याचिकाकर्ता के अनुसार, प्रतिवादी नंबर 3 का बेटा श्री संदीप गर्ग 'संदीप सेरामिक्स' के नाम से एक फैक्ट्री चला रहा था, जिसके लिए उसने हरियाणा वित्तीय निगम से ऋण प्राप्त किया था। इस ऋण को सुरक्षित करने के लिए, प्रतिवादी नंबर 3 का फ़रीदाबाद स्थित घर गिरवी रखा गया था। यह कहा गया है कि प्रतिवादी नंबर 3 का बेटा ऋण की किस्तें नहीं चुका सका और इस प्रकार, रुपये की राशि। उनसे 2.31 करोड़ रुपये देय एवं देय हो गये। प्रतिवादी नंबर 3 ने याचिकाकर्ता से, वह तत्कालीन मुख्यमंत्री से संबंधित होने के नाते, इस ऋण राशि को माफ करने और अपने घर को कब्जे से मुक्त कराने के लिए कहा। याचिकाकर्ता का कहना है कि उसे प्रतिवादी नंबर 3 की पत्नी के नाम पर गुड़गांव में एक औद्योगिक भूखंड आवंटित करने के लिए भी कहा गया था। याचिकाकर्ता का कहना है कि वह इसमें सफल न हो सका और इस कारण प्रतिवादी संख्या 3 उससे नाराज हो गया और आखिरकार याचिकाकर्ता के विरुद्ध अक्षेपित रिपोर्ट में जैसा लिखा हुआ है भर दिया। इस आशय के अन्य दावे भी किए गए हैं कि प्रतिवादी नंबर 3 ने इस रिपोर्ट को देर से शुरू किया था, हालांकि इसकी तारीख 31 मई, 2001 को थी।

(8) इस रिपोर्ट में, याचिकाकर्ता को 'मेहनती नहीं' या 'मामलों के निपटारे में तत्पर' नहीं होने का आकलन किया गया था। यह भी टिप्पणी की गई कि उनके निर्णय अच्छे हैं लेकिन वे प्रेरित हैं। निर्णयों का मूल्यांकन 'सी' श्रेणी में किया गया, जो औसत से नीचे है। याचिकाकर्ता को 'कुशल' लेकिन 'बेईमान' भी बताया गया. उन्हें ईमानदारी और निष्पक्षता के लिए प्रतिष्ठा के कॉलम के सामने सत्यनिष्ठा संदिग्ध की टिप्पणी भी दी गई थी। इसके अलावा, यह उल्लेख किया गया है कि 'ऐसी खबरें हैं कि उन्होंने एक विशेष वकील के माध्यम से एनडीपीएस अधिनियम के तहत बड़ी संख्या में आवेदनों में पैसे लिए हैं और अन्य नागरिक और आपराधिक मामलों में भी पैसे लेते रहे हैं।' रिपोर्ट का अंतिम परिणाम 'सी' (सत्यनिष्ठा संदिग्ध) था।

(9) जब इन टिप्पणियों से याचिकाकर्ता को अवगत कराया गया, तो उसने एक अंतरिम प्रतिनिधित्व दायर किया। तब तक, प्रतिवादी नंबर 3 पहले ही सेवानिवृत्त हो चुका था। याचिकाकर्ता द्वारा दायर अभ्यावेदन को इस न्यायालय के अन्य न्यायाधीश को भेजा गया था। व्यक्तिगत सुनवाई के लिए याचिकाकर्ता के अनुरोध को कथित तौर पर अस्वीकार कर दिया गया था। हालाँकि, दिए गए अभ्यावेदन के आधार पर, निर्णय की गुणवत्ता और याचिकाकर्ता द्वारा पारित आदेश से संबंधित कॉलम नंबर 3 में प्रतिकूल प्रविष्टि को 'सी' से 'बी' में अपग्रेड कर दिया

गया था, लेकिन अन्य प्रार्थनाओं को खारिज कर दिया गया था। यह याचिकाकर्ता को प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा 15 मार्च, 2003 को पत्र के माध्यम से सूचित किया गया था। रिकॉर्ड का निरीक्षण करने के बाद, याचिकाकर्ता ने 24 अप्रैल, 2003 को एक अंतिम अभ्यावेदन भेजा, जिसमें उन्होंने कुछ अतिरिक्त दलीलें दी थीं। व्यक्तिगत सुनवाई का कोई अवसर दिए बिना इसे फिर से खारिज कर दिया गया। याचिकाकर्ता इस आदेश को बकवास करार देगा. इसके अलावा, याचिकाकर्ता का कहना है कि अभ्यावेदन पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्णय नहीं लिया गया। याचिकाकर्ता के अनुसार, एक अधिकारी की रिपोर्ट को भी प्रथा के अनुसार पूर्ण न्यायालय द्वारा अनुमोदित किया जाना आवश्यक है और तदनुसार वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट के खिलाफ प्रतिनिधित्व को भी पूर्ण न्यायालय के समक्ष रखा जाना आवश्यक है। हालाँकि, याचिकाकर्ता द्वारा दायर अभ्यावेदन को पूर्ण न्यायालय के समक्ष नहीं रखा गया था, बल्कि नियुक्त न्यायाधीश द्वारा उस पर निर्णय लिया गया था।

(10) याचिकाकर्ता ने प्रतिकूल टिप्पणियों की रिकॉर्डिंग और जिस तरीके से इनका समर्थन किया गया है, उसे बहुत गंभीर चुनौती दी है। याचिकाकर्ता के अनुसार, उनके खिलाफ उच्च न्यायालय या प्रतिवादी नंबर 3 द्वारा कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई थी। इस प्रतिकूल टिप्पणी को दर्ज करने से पहले, याचिकाकर्ता को किसी भी प्रतिकूल सामग्री से अवगत नहीं कराया गया था। इस प्रकार, वह कहेंगे कि उनकी सत्यनिष्ठा पर संदेह करने वाली ऐसी गंभीर प्रतिकूल टिप्पणियाँ बिना किसी सामग्री या आधार के दर्ज की गई हैं। इस संबंध में याचिकाकर्ता आग्रह करेगा कि न तो वकील का नाम और न ही उन एनडीपीएस मामलों का विवरण, जिनका याचिकाकर्ता ने पैसे लेकर फैसला किया, का कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है। बल्कि ऐसे किसी भी मामले का जिक्र नहीं किया गया है, जिसका फैसला याचिकाकर्ता ने कथित तौर पर पैसे लेकर किया हो. इसके बाद याचिकाकर्ता वर्ष 2000-01 और 2002-03 में दर्ज की गई अपनी दो रिपोर्टों का संदर्भ देगा जहां उसे बी+ ग्रेड के साथ 'अच्छा' माना गया था। इस रिपोर्ट के आधार पर, जहां याचिकाकर्ता को 'संदिग्ध सत्यनिष्ठा' करार दिया गया, उसे 2 सितंबर, 2003 से अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी गई। याचिकाकर्ता इसे एक ऐसी सजा करार देगा, जो बिना किसी जांच के या बिना किसी आदेश के दी गई है। कोई कारण बताओ नोटिस. वह तदनुसार कहेंगे कि यह आदेश मनमाना, भेदभावपूर्ण और संवैधानिक गारंटी का उल्लंघन है, इसके अलावा यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का भी उल्लंघन है। यहीं पर, याचिकाकर्ता यह भी उल्लेख करता है कि उसे 12 अगस्त, 2006 को 58 वर्ष की आयु पूरी करनी थी, लेकिन 5 सितंबर, 2003 को जब वह 55 वर्ष का था, तब उसे अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कर दिया गया। याचिकाकर्ता यह भी आग्रह करता है। कि उसने 22 साल की अर्हक सेवा पूरी कर ली है और इस प्रकार, 10 नवंबर, 2003 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की मांग की है। इस संबंध में, उसने 64,500 रु.की राशि उत्सर्जित की थी, 29 अगस्त, 2003 को अपने पत्र के माध्यम से, 28 अगस्त, 2003 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की मांग की गई। जवाब में, उन्हें यह विवादित आदेश दिया गया।

(11) प्रारंभ में, याचिकाकर्ता ने सीधे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अनुच्छेद 32 के तहत एक रिट याचिका दायर की थी। इसके बाद उन्हें इस न्यायालय के

समक्ष रिट याचिका दायर करने की स्वतंत्रता दी गई। तदनुसार, उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष दायर अपनी रिट याचिका वापस ले ली और वर्तमान रिट याचिका दायर की।

(12) उच्च न्यायालय सहित उत्तरदाताओं की ओर से जवाब दाखिल किए गए हैं। यह दावा विवादित है कि जब याचिकाकर्ता ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए अपना अनुरोध प्रस्तुत किया था तो उसके खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही या शिकायत लंबित नहीं थी। राम सिंह नामक व्यक्ति द्वारा की गई शिकायत का संदर्भ दिया गया है, जो कथित तौर पर लंबित थी। इस शिकायत के संबंध में विवरण तत्कालीन प्रशासनिक न्यायाधीश द्वारा बुलाया गया था। याचिकाकर्ता द्वारा दी गई दलील कि वह 29 अगस्त, 2003 से सेवानिवृत्त हो गया था, यानी जिस तारीख को उसने नोटिस की शेष अवधि के बदले में वेतन जमा किया था, उसे तर्कसंगत नहीं बताया गया है। यह बताया गया है कि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए याचिकाकर्ता के अनुरोध पर पूर्ण न्यायालय में माननीय न्यायाधीशों द्वारा विधिवत विचार किया गया था, साथ ही 55 साल से अधिक समय तक सेवा में बनाए रखने के मामले पर भी विचार किया गया था और उसे सेवानिवृत्त करने के लिए सरकार को सिफारिश करने का निर्णय लिया गया था। वेतन और भत्ता देकर जिससे नोटिस सार्वजनिक हित में कम हो जाए। यहां तक कि याचिकाकर्ता से न्यायिक कार्य भी वापस ले लिया गया. याचिकाकर्ता की अन्य दलीलें कि उसके अनुरोध को स्वीकृति के लिए राज्यपाल के पास भेजा जाना आवश्यक था, विवादित है। बी.एल. के मामले गुलाटी, एस.डी. त्यागी, पी.एल. गोयल और के.के. चोपड़ा को अलग-अलग बताया गया है और याचिकाकर्ता के मामले के समान नहीं है। याचिकाकर्ता के कार्य और आचरण के संबंध में प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा की गई टिप्पणियाँ उचित हैं क्योंकि इनका समर्थन याचिकाकर्ता के कार्य, आचरण और प्रतिष्ठा को देखने के बाद किया गया था। इन टिप्पणियों के समर्थन की पृष्ठभूमि के संबंध में आधिकारिक उत्तरदाताओं द्वारा उचित रूप से उत्तर नहीं दिया गया है क्योंकि यह प्रतिवादी संख्या 3 से संबंधित होगा। हालांकि, याचिकाकर्ता की दलील का जवाब देते हुए कि उनका प्रतिनिधित्व पूर्ण न्यायालय के समक्ष नहीं रखा गया था, यह कहा गया है कि इसे पूर्ण न्यायालय में भेजा गया था और जब यह उत्तर दाखिल किया गया था तब कथित तौर पर यह विचाराधीन था। इसी प्रकार, उत्तर में कहा गया है कि वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट भी पूर्ण न्यायालय के विचाराधीन थी और पूर्ण न्यायालय द्वारा उनके प्रतिनिधित्व पर निर्णय लेने के बाद दर्ज की जानी थी।

(13) प्रतिवादी संख्या 3 ने एक अलग संक्षिप्त उत्तर दाखिल किया है जिसमें उसने अपने द्वारा दर्ज की गई रिपोर्ट को उचित ठहराया है। प्रतिवादी संख्या 3 के अनुसार, याचिकाकर्ता को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया गया था और उक्त अनिवार्य सेवानिवृत्ति आदेश को चुनौती देने के लिए, उसने अदालत को गुमराह करने के लिए अपने खिलाफ स्पष्ट रूप से झूठे और लापरवाह आरोपों का सहारा लिया है। प्रतिवादी नंबर 3 ने इनकार कर दिया होगा यदि उसने कभी याचिकाकर्ता से मैसर्स संदीप सेरामिक्स का ऋण सरकार से माफ कराने और गिरवी रखे घर को मुक्त कराने के लिए कहा था, जैसा कि कहा गया है। उन्होंने याचिका में दिए गए इन दावों को भी खारिज कर दिया है कि याचिकाकर्ता को अपने परिवार के सदस्य के नाम पर औद्योगिक भूखंड की व्यवस्था करने के लिए कहा गया था। प्रतिवादी नंबर 3 आगे कहेगा कि यह तथ्य कि सह-निदेशकों ने हरियाणा वित्तीय निगम से ऋण उधार लिया था, यह सभी को ज्ञात तथ्य था, जिसमें कंपनी भी शामिल है।

इस पृष्ठभूमि में उल्लेख किया जाएगा कि याचिकाकर्ता जैसे पात्र हमेशा एक बिंदु हासिल करने के लिए कुछ आधार ढूंढने की तलाश में रहते हैं जिसके आधार पर उन्हें अनुचित लाभ मिल सके। संक्षेप में, उन्होंने वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट में याचिकाकर्ता की प्रतिकूल टिप्पणियों और मूल्यांकन को सही ठहराने की कोशिश की है। तथ्य यह है कि प्रतिवादी नंबर 3 के बेटे द्वारा चलाई जा रही औद्योगिक कंपनी ने ऋण के भुगतान में चूक की थी, प्रतिवादी नंबर 3 द्वारा दायर जवाब में विवादित नहीं है।

(14) रिकॉर्ड से पता चलता है कि याचिकाकर्ता के वकील द्वारा किए गए मौखिक अनुरोध पर, हरियाणा वित्तीय निगम को प्रतिवादी संख्या 4 के रूप में शामिल किया गया था। निगम बाद में आगे आया और इस न्यायालय द्वारा जारी निर्देश पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। वित्तीय निगम द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट रिकॉर्ड पर है। तथ्य यह है कि ग्राम नूना माजरा में स्थित 20 कनाल 9 मरला भूमि और प्रतिवादी संख्या 3 के स्वामित्व वाली संख्या 63, सेक्टर 9, फ़रीदाबाद का एक दो मंजिला मकान, एक संपार्श्विक सुरक्षा होने के नाते, वित्तीय निगम को सुरक्षित करने के लिए दिया गया था। ऋण, जो मैसर्स संदीप सेरामिक्स लिमिटेड, बहादुरगढ़ द्वारा प्राप्त किया गया था, की पुष्टि की गई है। रिपोर्ट के कुछ अन्य पहलू भी हैं, जिनका जिक्र करने की जरूरत नहीं है. इतना जानना पर्याप्त है कि ऋण और मकान गिरवी रखने का तथ्य रिकार्ड के अनुसार है।

(15) हालांकि अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश को चुनौती देने के लिए कई दलीलें दी गई हैं, फिर भी, मेरे विचार से, इस रिपोर्ट को शुरू करने के लिए प्रतिवादी संख्या 3 के खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच करने या यह देखने की कोई आवश्यकता नहीं होगी कि ये प्रमाणित हैं या नहीं या नहीं। याचिका में की गई प्रार्थना से पता चलता है कि अंततः याचिकाकर्ता ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की अपनी प्रार्थना को प्रभावी बनाने के लिए अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश को रद्द करने के लिए एक सीमित प्रार्थना की है। उन्होंने मनमानी और बिना किसी सामग्री पर आधारित प्रतिकूल गोपनीय रिपोर्टों को हटाने की भी प्रार्थना की है।

(16) याचिकाकर्ता के वकील ने कई निर्णयों की ओर मेरा ध्यान आकर्षित किया है कि जब किसी गोपनीय रिपोर्ट में बिना किसी आधार या सामग्री के किसी प्रतिकूल टिप्पणी का समर्थन किया जाता है, तो वह रिट कोर्ट द्वारा जांच के योग्य होगी। इस संबंध में, वह सबसे पहले अमरीक सिंह बनाम हरियाणा राज्य[1] के मामले का संदर्भ देंगे। इस मामले में, इस अदालत ने देखा है कि अनुच्छेद 226 के तहत क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते समय, उच्च न्यायालय प्रशासनिक मामलो मे सुनवाई करते समय अपील की अदालत के रूप में कार्य नहीं करता है। ऐसे मामलों में न्यायालय का हस्तक्षेप कानून के उल्लंघन, दुर्भावनापूर्ण या पेटेंट मनमानी जैसे सीमित आधार पर होता है। इस मामले में यह भी देखा गया है कि रिपोर्टिंग या अन्य प्राधिकारी, जो किसी अधिकारी की सत्यनिष्ठा के संबंध में प्रतिकूल टिप्पणी करता है, पर एक कठिन दायित्व डाला जाता है कि सत्यनिष्ठा से संबंधित प्रतिकूल

1 1995 (4) R.S.J. 269

प्रविष्टि करते समय अतिरिक्त सतर्क और सावधान रहें। वकील फिर अवतार सिंह बनाम हरियाणा राज्य और अन्य के मामले का हवाला देता है[2]। इस मामले में, रिपोर्टिंग में वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया था कि याचिकाकर्ता पर भ्रष्टाचार का संदेह है या माना जाता है कि वह भ्रष्ट है। उन्होंने यह भी नहीं बताया कि याचिकाकर्ता की सत्यनिष्ठा संदिग्ध है। जो कहा गया है वह यह है कि ईमानदारी के संबंध में मौखिक शिकायतें प्राप्त हुई थीं। ये टिप्पणियाँ अस्पष्ट और अनिश्चित पाई गईं।

(17) एम. एस. बिंद्रा बनाम भारत गणराज्य व अन्य[3] के मामले पर मजबूत निर्भरता रखी गई है। इस मामले में दो सिद्धांत प्रतिपादित किये गये प्रतीत होते हैं। यह माना जाता है कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति लगाने वाले किसी भी आदेश की न्यायिक जांच की अनुमति है यदि आदेश या तो मनमाना या दुर्भावनापूर्ण है या यदि यह बिना किसी सबूत पर आधारित है। इस निर्णय में, यह देखा गया है कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति के संदर्भ में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का कोई स्थान नहीं हो सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यदि दोषी अधिकारी का संस्करण सही निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए आवश्यक है, तो सिद्धांतों से विचलन किया जा सकता है। यह धारणा कि केवल अन्य सामग्रियों पर ही ध्यान देने की आवश्यकता है। इस मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी माना कि सामग्री का मूल्यांकन करते समय, समीक्षा करने वाले प्राधिकारी को अधिकारी द्वारा आयोजित प्रतिष्ठा को पूरी तरह से नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। संदिग्ध सत्यनिष्ठा के बारे में कोई भी निष्कर्ष केवल अनुमान पर आधारित नहीं होना चाहिए। अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश को अंततः यह देखते हुए रद्द कर दिया गया कि स्क्रीनिंग कमेटी के पास यह निष्कर्ष निकालने के लिए सबूतों की कमी थी कि अपीलकर्ता की ईमानदारी संदिग्ध थी।

(18) मैंने दलीलों की विस्तार से जांच की है और मेरे सामने उपस्थित पक्षों के विद्वान वकील द्वारा की गई दलीलों को सुना है।

(19) याचिकाकर्ता दलील देता है कि रिपोर्ट उसके द्वारा संदर्भित घटना का नतीजा है, जिसका प्रतिवादी संख्या 3 ने बहुत जोरदार तरीके से खंडन किया है। हालांकि याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में इतना दावा किया है कि ये टिप्पणियाँ इसलिए हैं क्योंकि उनके द्वारा दी गई पृष्ठभूमि, फिर भी अधिवक्ता ने दलील दी कि उनके खिलाफ इन अपमानजनक टिप्पणियों का समर्थन करने के लिए कोई सामग्री नहीं है। इस प्रकार, जैसा कि अनुरोध किया गया है, इस पृष्ठभूमि की सत्यता की जांच करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

(20) याचिकाकर्ता पर दर्ज की गई आक्षेपित रिपोर्ट वर्ष 2000-01 से संबंधित है और उसी के आधार पर, उसे 2 सितंबर, 2003 से अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कर दिया गया है। रिकॉर्ड से पता चलेगा कि याचिकाकर्ता ने इसके खिलाफ एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया था। 18 दिसंबर, 2001 को आक्षेपित रिपोर्ट। इस प्रतिनिधित्व के आधार पर, उनके मूल्यांकन का हिस्सा 'सी' से 'बी' में अपग्रेड किया गया था। यह याचिकाकर्ता द्वारा अंतरिम प्रतिनिधित्व क्षेत्र था। व्यक्तिगत सुनवाई की उनकी प्रार्थना अस्वीकार कर दी गई। याचिकाकर्ता को 15 मार्च, 2003 को एक पत्र के माध्यम से सूचित किया गया कि प्रतिकूल रिपोर्ट के कॉलम नंबर 3 और

---

2 1995 (3) आर.एस.जे. 262

3 1998 (3) एसएलआर 358

औसत से नीचे 'सी' की गई प्रविष्टि को 'बी' यानी 'अच्छा' में अपग्रेड कर दिया गया है। इसके बाद, याचिकाकर्ता ने रिकॉर्ड का निरीक्षण करने के तुरंत बाद एक विस्तृत अभ्यावेदन दायर किया, जिसे याचिकाकर्ता के अनुसार, इस अदालत के एक न्यायाधीश ने पूर्ण न्यायालय को संदर्भित किए बिना खारिज कर दिया था। अस्वीकृति आदेश को अनुबंध पी-6 के रूप में रिकॉर्ड पर रखा गया है। मेरे सामने यह विवादित नहीं है कि प्रतिकूल गोपनीय रिपोर्ट के खिलाफ अभ्यावेदन को पूर्ण न्यायालय के समक्ष रखा जाना आवश्यक था। वास्तव में, याचिकाकर्ता को रिकॉर्ड का निरीक्षण करने की अनुमति दी गई थी और उसके बाद 24 अप्रैल, 2003 को एक अंतिम अभ्यावेदन दायर किया था, जहां उसने कुछ अतिरिक्त दलीलें उठाई थीं। यह अभ्यावेदन फिर से इस न्यायालय के एक न्यायाधीश को भेजा गया, जिसे अस्वीकार कर दिया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि इसे भी पूर्ण न्यायालय के संदर्भ के बिना खारिज कर दिया गया था। याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए इन कथनों का जवाब देते समय, जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, उत्तर में यह खुलासा किया गया है कि याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को पूर्ण न्यायालय में भेजा गया था और जब जवाब दाखिल किया गया था तब कथित तौर पर यह लंबित था। यह उत्तर 28 अप्रैल, 2004 को दायर किया गया था। श्री बैंस ने मेरा ध्यान अनुलग्नक पी-17 की ओर आकर्षित किया है, जो 1 मई, 2004 का एक आदेश है, जिसके माध्यम से याचिकाकर्ता को सूचित किया गया था कि उनका अभ्यावेदन, दिनांक 24 अप्रैल, 2003 और 15 सितंबर, 2003 को प्रतिकूल टिप्पणियों को खारिज कर दिया गया और इस गोपनीय रिपोर्ट में उन्हें 'सी' श्रेणी में रखा गया, सत्यनिष्ठा संदिग्ध थी।

(21) इस प्रकार, सवाल उठेगा कि क्या सक्षम प्राधिकारी के समक्ष इसके खिलाफ अभ्यावेदन लंबित होने के बाद याचिकाकर्ता को सेवा से अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने के लिए इस प्रविष्टि पर विचार किया जा सकता था। याचिकाकर्ता को 2 सितंबर, 2003 को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कर दिया गया था। एक और अतिरिक्त कारक यह होगा कि न केवल याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्वसक्षम प्राधिकारी के समक्ष विचाराधीन था लेकिन सत्यनिष्ठा के संबंध में वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट में अंतिम मूल्यांकन को अभी भी पूर्ण न्यायालय द्वारा अनुमोदित किया जाना बाकी था। सक्षम प्राधिकारी यानी पूर्ण न्यायालय द्वारा इसका समर्थन किए जाने के बाद ही इसका उपयोग किया जा सकता था। दायर जवाब में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि उनकी वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट पूर्ण न्यायालय द्वारा उनके अभ्यावेदन पर निर्णय लेने के बाद दर्ज की जानी थी। इस प्रकार, यहां तक कि याचिकाकर्ता की 'सी' सत्यनिष्ठा संदिग्ध के रूप में मूल्यांकन को भी अंतिम रूप दिया जाना बाकी था, इससे पहले कि इसका उपयोग याचिकाकर्ता को सेवा से अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त करने के लिए किया जाता। पूर्ण न्यायालय द्वारा इन टिप्पणियों की बाद की मंजूरी और याचिकाकर्ता के प्रतिनिधित्व की अस्वीकृति उस आदेश को मान्य करने के लिए कानून में कोई सांत्वना नहीं होगी, जो इस तिथि से पहले पारित किया गया है, जब इसे कानूनी रूप से नहीं बनाया जा सकता था। मेरे समक्ष यह विवादित नहीं है कि वर्ष 2000-01 में किए गए इस मूल्यांकन के आधार पर ही याचिकाकर्ता की अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश दिया गया था। ऐसा कोई अन्य कारण नहीं है जिससे याचिकाकर्ता के साथ ऐसा व्यवहार किया जा सके। मेरे विचार में, यह दुर्बलता, जैसा कि देखा गया, अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश में हस्तक्षेप करने के लिए पर्याप्त होगी, खासकर तब जब याचिकाकर्ता की सीमित प्रार्थना

उसे स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर आगे बढ़ने की अनुमति देने की हो, जिसके लिए उसने प्रार्थना की थी।

(22) मैंने खुद को इस आधार पर इस दृष्टिकोण को अपनाने के लिए राजी किया है कि मुझे ऐसी कोई सामग्री नहीं मिल पाई है जो वार्षिक कॉन्फिडेंसिया में समर्थित टिप्पणियों का समर्थन कर सके! याचिकाकर्ता की रिपोर्ट. कोई स्रोत नहीं, मामलों का विवरण, उन व्यक्तियों के नाम सामने नहीं आ रहे हैं जिनसे याचिकाकर्ता ने मामलों का फैसला करते समय कथित तौर पर पैसे लिए थे, न्यायिक अधिकारियों को बहुत ही पवित्र कर्तव्यों का पालन करना होता है। उन्हें बेईमान कहकर निंदा करने के लिए, एक सामग्री होनी चाहिए, कुछ ऐसी सामग्री जो ऐसी टिप्पणियों का समर्थन करने का आधार प्रदान करे। निस्संदेह, न्यायिक अधिकारियों को संदेह से परे देखा जाना चाहिए। यहां तक कि एक छोटा या छिपा हुआ संदेह भी पर्याप्त हो सकता है लेकिन यह कुछ सामग्री के आधार पर होना चाहिए। यह एक अनुमान पर नहीं हो सकता. न्यायिक अधिकारी को ईमानदार होना होगा, ईमानदार दिखना होगा और इसे एक जरूरत और आवश्यकता के रूप में उसके अंदर रखना होगा। यदि किसी अधिकारी की ईमानदारी पर संदेह होने की खबरें आती हैं तो उसे न केवल रिपोर्ट में प्रतिबिंबित किया जाना चाहिए, बल्कि ऐसे अधिकारी के लिए न्यायिक परिवार में कोई जगह नहीं होनी चाहिए और उसे तुरंत हटा दिया जाना चाहिए। एक न्यायिक अधिकारी के लिए ईमानदारी कोई गुण नहीं है। यह कोई प्रमाणित योग्यता नहीं है जिसका वह दावा कर सके या उसका उल्लंघन कर सके, बल्कि यह उसके और सेवा के लिए एक आवश्यकता, आवश्यकता और आवश्यकता है। यह उच्च मंच है जहां न्यायिक अधिकारी खड़े होते हैं, ईमानदारी के बारे में उनका आकलन हल्के ढंग से नहींकिया जाना चाहिए। हल्के ढंग से नहीं या नहीं बनाया जाना चाहिए। इसमें अतिरिक्त सावधानी और सावधानी बरतनी होगी जैसा कि किसी अन्य कर्मचारी के मामले में ईमानदारी के बारे में टिप्पणी करते समय आवश्यकता होती है, कोई व्यक्ति समर्थन में सामग्री की तलाश कर सकता है ताकि उनके साथ उचित व्यवहार किया जा सके। जब एक न्यायिक अधिकारी से इतने उच्च मानक की सत्यनिष्ठा और ईमानदारी की अपेक्षा की जाती है तो ऐसे गुणों वाले न्यायिक अधिकारी का मूल्यांकन करते समय भी उतनी ही उच्च स्तर की सावधानी और सावधानी बरतनी होगी। अवतार सिंह के मामले (सुप्रा) में, यह देखा गया है कि यदि सत्यनिष्ठा के संबंध में प्रतिकूल टिप्पणियाँ आकस्मिक, अनौपचारिक या गूढ़ पाई जाती हैं या जहां यह पाया जाता है कि प्रतिकूल टिप्पणियाँ अनावश्यक विचार के लिए की गई हैं या दिमाग का गैर-प्रयोग किया गया है, तो न्यायालय ऐसी टिप्पणियों की चुनौती की अधिक गंभीरता से जांच करनी होगी। ये टिप्पणियाँ बिना किसी सामग्री के उपलब्ध हुए की गई हैं। उपलब्ध एक शिकायत किसी गैर-मौजूदा व्यक्ति द्वारा की गई पाई गई। अब भी, उत्तरदाताओं के पास याचिकाकर्ता के खिलाफ लगाए गए आरोप को साबित करने के लिए कुछ भी नहीं है। गोपनीय रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया गया है कि ऐसी खबरें थीं कि याचिकाकर्ता ने एक विशेष वकील के माध्यम से एनडीपीएस अधिनियम के तहत बड़ी संख्या में आवेदनों में पैसे लिए थे. इन रिपोर्टों का विवरण या तो आसानी से उल्लेख किया जा सकता था या यहां तक कि वकील का नाम भी खुले तौर पर नहीं तो आसानी से विश्वास के साथ खुलासा किया जा सकता है। दरअसल, उत्तरदाताओं की ओर से इस संबंधित कोई दलील नही है।प्रतिवादी संख्या 3 आग्रह करता कि वह सेवानिवृत्त हो

गया है और इसलिए, सामग्री उच्च न्यायालय के पास उपलब्ध है। दूसरी ओर, उच्च न्यायालय ऐसा करेगा की इस संबंध में उत्तरदायित्व प्रतिवादी संख्या 3 को सौंपें, जिन्होंनेयाचिकाकर्ता पर इस गोपनीय रिपोर्ट का समर्थन किया। इस पृष्ठभूमि में, एम.एस. बिंद्रा (सुप्रा) के मामले में दर्ज टिप्पणी को ध्यान में रखा जा सकता हैं। मामले को न्यायिक जांच के नजरिये से देख रहे हैं यानी ऐसे निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए साक्ष्य या सामग्री की कमी होने पर यह माना जाता है सामग्री की कमी लगभग अगली स्थिति के बराबर है कि जो उपलब्ध सामग्री होने पर भी कोई भी युक्तिपूर्ण मनुष्य ऐसे निष्कर्ष पर नहीं पहुंचेगा। मूल्यांकन करते समय सामग्री, प्राधिकारी को पूरी तरह से प्रतिष्ठा की अनदेखी नहीं करनी चाहिए जो अधिकारी हाल तक आयोजित किया गया था। कहावत है कि कोई अचानक बेईमान, बेईमानी करना असाधारण नहीं है लेकिन फिर भी यह हितकारी दिशानिर्देश है मानव आचरण का मूल्यांकन करना, विशेषकर प्रशासनिक कानून के क्षेत्र में। हालाँकि, अधिकारियों को उस समग्र अनुमान के प्रति आँखें पूरी तरह से बंद नहीं रखनी चाहिए जिसमें अपराधी अधिकारी को पकड़ा गया था, लेकिन एक अधिकारी को संदिग्ध अखंडता के पूल में डुबाने के लिए, यह पर्याप्त नहीं है कि संदेह केवल एक अनुमान पर आधारित हो। आगे देखा गया है कि संदेह इस प्रकार का होना चाहिए की एक प्रकृति जो दी गई सामग्री पर एक उचित व्यक्ति द्वारा उचित और सचेत रूप से मनोरंजन योग्य होगी। केवल संभावना ही यह मान लेने के लिए पर्याप्त नहीं है कि ऐसा हुआ होगा। उचित व्यक्ति के लिए उस संभावना के संबंध में संदेह उत्पन्न करने के लिए संभाव्यता की प्रधानता होनी चाहिए। तभी किसी अधिकारी पर 'संदिग्ध सत्यनिष्ठा' का ठप्पा लगाने का औचित्य है।

(23) इस मामले में सामग्री कहाँ है? माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित मूल्यांकन के मानक से देखा जाए तो यह कहा जा सकता है कि अधिकारी की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट में दर्ज संदिग्ध सत्यनिष्ठा की टिप्पणियों को कायम रखना काफी कठिन है। ये टिप्पणियाँ बिना किसी सामग्री के दर्ज की गई हैं और इस प्रकार, अनुमान पर आधारित हैं। यदि कोई रिपोर्ट थी, तो उसे कम से कम न्यायालय में रखा जाना चाहिए था या दिखाया जाना चाहिए था। जिस वकील के माध्यम से यह पैसा गया था उसका नाम आसानी से उजागर किया जा सकता है। उस संभावना के संबंध में संदेह करने के लिए उचित व्यक्ति के लिए कसौटी पर संभाव्यता की प्रधानता संतुष्ट नहीं है। यहां यह नोट करना उचित होगा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ईश्वर चंद जैन एवं अन्य बनाम पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय आर.जी. के माध्यम से के मामले में क्या देखा है **(4):** —

"अधीनस्थ न्यायालयों का निरीक्षण सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है जो उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण के लिए करता है। ऐसे निरीक्षण का उद्देश्य अधीनस्थ न्यायाधीश द्वारा किए गए कार्य, उनकी क्षमता, अखंडता और योग्यता का मूल्यांकन करना है। चूँकि न्यायाधीश मनुष्य हैं और सभी मानवीय असफलताओं के प्रति संवेदनशील भी हैं, इसलिए निरीक्षण गलतियों को इंगित करने का अवसर प्रदान करता है ताकि भविष्य में उनसे बचा जा सके और अधीनस्थ न्यायालय के कामकाज में यदि कोई कमी हो तो उसे दूर किया जा सके। निरीक्षण को एक के रूप में कार्य करना चाहिए अधीनस्थ न्यायाधीशों को सर्वोत्तम परिणाम देने के लिए प्रेरित

करने में उत्प्रेरक। उन्हें उपलब्धि की भावना महसूस करनी चाहिए। उन्हें प्रोत्साहन की आवश्यकता है। वे अत्यधिक तनाव में काम करते हैं और बड़ी असुविधा और कठिनाइयों के बीच काम करते हुए अदालतों का संचालन करते हैं। एक संतोषजनक न्यायिक प्रणाली काफी हद तक संतोषजनक कार्यप्रणाली पर निर्भर करती है। जमीनी स्तर पर अदालतें। निरीक्षण न्यायाधीश द्वारा दर्ज की गई टिप्पणियाँ आम तौर पर पूर्ण न्यायालय द्वारा समर्थित होती हैं और वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट का हिस्सा बन जाती है, और वे आधार हैं जिन पर एक न्यायिक अधिकारी का करियर बनता या ख़राब होता है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निरीक्षण अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसे प्रभावी और उत्पादक दोनों होना चाहिए। ऐसा तभी हो सकता है जब यह अच्छी तरह से विनियमित हो और काम करने वालों जैसा हो। अधीनस्थ न्यायालय का निरीक्षण कोई एक दिन या एक घंटे, कुछ मिनटों का मामला नहीं है। निरीक्षण न्यायाधीश द्वारा न्यायालय के कार्यों की निगरानी करते हुए इसे पूरे वर्ष चलना होता है। आकस्मिक निरीक्षण न्यायिक प्रणाली के लिए शायद ही फायदेमंद हो सकता है। यह फायदे से ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। जैसा कि आर. राजिया (जेटी 1988 (2) एससी 567) के मामले में देखा गया, गलत कल्पना या प्रेरित शिकायतें हो सकती हैं। अफवाह फैलाने से हर कीमत पर बचना चाहिए क्योंकि यह अधीनस्थ अदालतों के कुशल कामकाज को गंभीर रूप से खतरे में डालता है।"

(24) न्यायिक अधिकारी के काम का आकलन करने के लिए महत्वपूर्ण दिशानिर्देश बनाने के लिए इन्हें बेहद महत्वपूर्ण टिप्पणियां कहा गया था। ये टिप्पणियाँ उस रवैये का भी संकेत देती हैं जिसके साथ निरीक्षण न्यायाधीश को न्यायिक अधिकारी के काम और आचरण पर निष्पक्षता से विचार करना चाहिए, जिन्हें कभी-कभी कठिन और कठिन परिस्थितियों में काम करना पड़ता है। सामग्री के अभाव में प्रतिकूल टिप्पणी करने से यह आभास हो सकता है कि याचिकाकर्ता के साथ उचित व्यवहार नहीं किया गया है। ऊपर उल्लिखित अवलोकन निश्चित रूप से लागू होगा। मैं यहां यह कहना जल्दबाजी कर सकता हूं कि इसे याचिकाकर्ता द्वारा याचिका में लगाए गए आरोपों की सत्यता पर राय की अभिव्यक्ति के रूप में नहीं लिया जा सकता है। मैं इसके बजाय यह जोड़ना चाहूंगा कि याचिकाकर्ता के लिए यह उचित होगा कि वह प्रतिवादी नंबर 3 के खिलाफ ये आरोप लगाने में इस अपमान से बचें, जो इस न्यायालय के न्यायाधीश के अलावा और कोई नहीं था। प्रतिवादी संख्या 3 ने पर्याप्त विश्वास के साथ इन आरोपों को खारिज कर दिया है। इन आरोपों का याचिकाकर्ता की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट में समर्थित टिप्पणियों या इसे शुरू करने से कोई संबंध नहीं हो सकता है। याचिकाकर्ता ने उत्तरदाताओं द्वारा दायर उत्तरों के खंडन में कोई प्रत्युत्तर दाखिल नहीं किया। इन आरोपों का संदर्भ मामले को दलील के रूप में नोटिस करने के लिए किया गया है, न कि मामले में कोई दृष्टिकोण बनाने के उद्देश्य से। जैसा कि गोपनीय रिपोर्ट में समर्थन किया गया है, टिप्पणियाँ बिना किसी सामग्री के समर्थन के की गई हैं और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून और इन टिप्पणियों की जांच के लिए निर्धारित मानक के मद्देनजर कायम नहीं रखी जा सकती हैं। तदनुसार इन्हें खंडित किया जाता है।

(25) रिट याचिका स्वीकार की जाती है। याची की अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश निरस्त किया जाता है। याचिकाकर्ता की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की प्रार्थना को खारिज करने के

आदेश को भी रद्द किया जाता है। 29 अगस्त, 2003 से अपनी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए की गई याचिकाकर्ता की प्रार्थना स्वीकार की जाएगी। सत्यनिष्ठा संदिग्ध की प्रतिकूल टिप्पणियाँ और रिपोर्ट के विभिन्न स्तंभों में समर्थित टिप्पणियाँ और की गई सामान्य टिप्पणियाँ भी रद्द की जाती हैं। याचिकाकर्ता वह राशि जमा करेगा, जो कम पाई गई थी और नोटिस अवधि में कमी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए आवश्यक है, यदि उसने पहले से ही जमा नहीं किया है। तीन महीने के नोटिस के बदले याचिकाकर्ता को उत्तरदाताओं से प्राप्त राशि यानी रु। इस आदेश की प्रति प्राप्त होने की तारीख से दो सप्ताह की अवधि के भीतर याचिकाकर्ता को 71,975 रुपये वापस कर दिए जाएंगे। उत्तरदाता उस राशि की गणना करने के लिए स्वतंत्र होंगे, जिसे याचिकाकर्ता को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए अपनी प्रार्थना को प्रभावी बनाने के लिए जमा करना आवश्यक है और यदि कोई राशि जमा करने की आवश्यकता है, तो याचिकाकर्ता ऐसा करेगा। याचिकाकर्ता को 29 अगस्त, 2003 से सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्त माना जाएगा। इसके बाद आवश्यक परिणाम होंगे।

R.N.R.

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

आकाश सरोहा

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

रेवाड़ी, हरियाणा